

## राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गांधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

फोन नः 0141-2228066, फैक्स नः 0141-2228065

CIN: U24232RJ2011SGC035067

ई-मेल: [rmsc@nic.in](mailto:rmsc@nic.in)

Website: [www.rmsc.nic.in](http://www.rmsc.nic.in)

क्रमांक : एफ. 04( )/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/डिबार्ड/2017/3214

दिनांक : 14.09.2017

### - : कार्यालय आदेश : -

M/s. Ahlcon Parenterals (India) Ltd., Unit No. 201-205, Second Floor, NDM-1, Plot No. 2-4, Wazirpur District Centre, Netaji Subhash Place, Delhi-110034 को औषधियों की निविदा क्रमांक Tender No.F.02(158)/RMSCL/PROCUREMENT/Drug/NIB-8/2015/1069 Dated 07.08.2015 के तहत औषधि Tobramycin and Dexamethasone Ophthalmic Suspension USP 0.3%+0.1% (Code no. 330) के क्रय आदेश क्रमांक 170 दिनांक 26.04.2016 के द्वारा 152000 मात्रा, क्रय आदेश क्रमांक 943 दिनांक 28.09.2016 के द्वारा 189440 मात्रा, क्रय आदेश क्रमांक 1801 दिनांक 02.02.2017 के द्वारा 150000 मात्रा, 60 दिवस में आपूर्ति किए जाने हेतु जारी किए गए थे। फर्म के द्वारा समय-समय पर औषधि आपूर्ति किये जाने हेतु निगम से अतिरिक्त समयावृद्धि भी अनुमत कराई गई।

फर्म द्वारा निर्धारित समय एवं अनुमत अतिरिक्त समयावृद्धि में उक्त औषधि के जारी क्रयादेशों के विरुद्ध आपूर्ति नहीं की गई है। उक्त औषधि अतिआवश्यक औषधि की श्रेणी में आने के कारण इसके अभाव में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। प्रकरण अनुशासनात्मक समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर दिनांक 19.07.2017 को आयोजित अनुशासनात्मक समिति की मीटिंग में एजेण्डा संख्या 14 पर विचार - विमर्श कर फर्म द्वारा औषधि सप्लाई नहीं करने को गम्भीरता से लेते हुए आर.एम.एस.सी. की निविदा प्रक्रिया में उक्त औषधि सप्लाई करने के लिए भाग लेने हेतु दो वर्ष के लिए डिबार्ड (Debarred) करने का निर्णय लिया गया।

अतः निविदा की शर्त संख्या 13(8) के तहत फर्म को औषधि आपूर्ति नहीं करने का दोषी मानते हुए अनुशासनात्मक समिति के निर्णय दिनांक 19.07.2017 के अनुसार निर्माता फर्म M/s. Ahlcon Parenterals (India) Ltd. को आर.एम.एस.सी. की निविदा प्रक्रिया में औषधि Tobramycin and Dexamethasone Ophthalmic Suspension USP 0.3%+0.1% (Code no. 330) सप्लाई करने के लिए निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु आदेश जारी होने की तिथि से दो वर्ष के लिए डिबार्ड (Debarred) किया जाता है। निगम द्वारा जारी पूर्व क्रयादेशों की आपूर्ति पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्रबन्ध निदेशक 1113  
आर.एम.एस.सी.

o/c


दिनांक : 14.09.2017

क्रमांक : एफ.04( )/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/डिबार्ड/2017/3214  
निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
02. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
03. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महाराष्ट्र।
04. मिशन निदेशक, एन.एच.एम., जयपुर।
05. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी., जयपुर।
06. निदेशक PH/RCH/HA/AIDS/MSU/IEC चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
07. Drugs Controller General (India), New Delhi
08. औषधि नियंत्रक, राजस्थान/महाराष्ट्र।
09. कार्यकारी निदेशक, गुणवत्ता नियंत्रण, आर.एम.एस.सी.।
10. M/s. Ahlcon Parenterals (India) Ltd., Unit No. 201-205, Second Floor, NDM-1, Plot No. 2-4, Wazirpur District Centre, Netaji Subhash Place, Delhi-110034
11. गार्ड फाईल।



Ram Jaiswal

  
विशेषाधिकारी  
आर.एम.एस.सी.

o/c